असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 जुलाई, 2021

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज में No.Ho.327E के निकट स्थित बस स्टैंड का सौन्दर्यीकरण करावे ।''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत रानीगंज विभागीय अधिसूचना संख्या-971, दिनांक-03.03.2021 के द्वारा नवगठित किया गया है । अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज में एन0एच0 327E के निकट स्थित बस स्टैंड सौन्दर्यीकरण का कार्य जनहित में किया जाना आवश्यक है । बस स्टैंड के सौन्दर्यीकरण के संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस नगर पंचायत की उपलब्ध होने वाली राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वयन नगर पंचायत रानीगंज द्वारा किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह गैर सरकारी संकल्प को वापस लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक संख्या-3 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के मितऑवा के पास सोन नदी में प्रस्तावित इन्द्रपुरी जलाशय (कदवन डैम) का निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि 1980 के दशक में प्रस्तावित कदवन जलाशय योजना वर्तमान में ''इन्द्रपुरी जलाशय योजना'' के रूप में नामित है । पूर्व में कदवन जलाशय योजना नाम से समर्पित डी0पी0आर0 वर्ष 1987 से 2004 तक केन्द्रीय जल आयोग में डूब क्षेत्र पर उत्तरप्रदेश से सहमति के अभाव में स्वीकृति हेतु लंबित रही । राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग में दिनांक- 10 मई, 2005 एवं दिनांक-09 अगस्त, 2007 को बैठक संपन्न हुई ।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सर्वे ऑफ इंडिया से कंटूर सर्वे तथा अन्य कार्य संपादित कराया गया । फरवरी, 2015 में सर्वे ऑफ इंडिया से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् दिनांक- 05.02.2016 को सम्पन्न अन्तर्राज्यीय बैठक में नये सिरे से विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने का निर्णय हुआ । दिनांक-28.06.2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के निर्णय के आलोक में इन्द्रपुरी

जलाशय योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी को सौंपा गया है । परामर्शी द्वारा तैयार पी0पी0आर0 की प्रति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करा दी गई है, परन्तु झारखण्ड सरकार द्वारा योजना पर अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से सहमति नहीं दिए जाने के कारण पी0पी0आर0 की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त नहीं हो पा रही है । विभागीय स्तर पर अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से सहमति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है एवं झारखण्ड सरकार से सचिव स्तरीय बैठक कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक-43 दिनांक-28.01.2021 एवं विभागीय पत्रांक-99 दिनांक-24.02.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है । प्रेषित पत्र का झारखण्ड सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है एवं अब तक झारखण्ड सरकार का रूख सहयोगात्मक नहीं रहा है ।

प्रस्तावित योजना के पी0पी0आर0 झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार को सहमति के लिए भेजा गया, परन्तु दोनों राज्य सरकार से अब तक सहमति नहीं प्राप्त होने एवं सी0डब्ल्यू0सी0 की सभी पृच्छाओं का निराकरण करने के पश्चात् पी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु सी0डब्ल्यू0सी0 को विभागीय पत्रांक-283 दिनांक-27.07.2021 से अनुरोध किया गया है ।

पी0पी0आर0 की स्वीकृति के पश्चात् डी0पी0आर0 शीघ्र ही केन्द्रीय जल आयोग को समर्पित किया जायेगा एवं डी0पी0आर0 की स्वीकृति के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी । बिहार सरकार इन्द्रपुरी जलाशय के निर्माण हेतु कृत संकल्पित है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, इस जलाशय के निर्माण से संबंधित 03 मार्च, 2020 को मेरे ध्यानाकर्षण को जो जवाब दिया था यह जवाब तो वही है और माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि हम तीन माह के अंदर डी0पी0आर0 बना लेंगे तो 03 मार्च, 2020 के बाद क्या कार्रवाई हुई है, माननीय मंत्री जी को इसके बारे में बताना चाहिए ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हम लोगों का सारा कुछ तैयार है झारखण्ड सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं वहां से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस प्रोजेक्ट पर इसीलिए यह डिले हो रहा है ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है वापस लेते हैं सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को एक आवश्यक कार्य हेतु सदन से जल्दी जाना है इसलिए उनके विभाग से संबंधित शेष संकल्पों को भी अब एक-एक कर पुकार लेते हैं अन्य शेष संकल्प अपने क्रम से रहेंगे ।

क्रमांक-25, श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड-बाजपट्टी के ग्राम-बंगराहा में अधवारा नदी पर स्लूईस गेट का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी के ग्राम बंगराहा से 250 मीटर की दूरी पर अधवारा नदी का दायां तटबंध अवस्थित है । बंगराहा ग्राम के सामने अधवारा दायां तटबंध के कि0मी0 10.30 पर पूर्व से ही एण्टी फ्लड स्लूईस गेट के निर्माण का तकनीकी रूप से कोई औचित्य नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-31, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पश्चिमी चम्पारण के सिकटा प्रखंड के ओरिया नदी तटबंध पर इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड से छपैनिया होते हुए, ओरिया एवं गाद नदियों के संगम स्थल के पास गाद-बहुअरी-रामगढ़वा मार्ग से जोड़ने वाले सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड स्थित लाईन परसा ग्राम से ओरिया नद तटबंध तक आरम्भ में 500 मीटर गैप है एवं ओरिया नदी तटबंध के अंतिम छोर से सतगड़ी ग्राम स्थित ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित सड़क के बीच 4.00 कि0मी0 का गैप अवस्थित है । प्रश्नगत सड़क निर्माण हेतु त्रिवेणी शाखा नहर एवं ओरिया नद पर एक-एक पुल निर्माण की भी आवश्यकता होगी ।